"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भरती के लिये राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु "राज्य सेवा परीक्षा नियम" 2008, दिनांक 27 अगस्त, 2008 को जारी किया है, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. उप नियम 3 (तीन) (आ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए :—
"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जाएगी. यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कोई उम्मीदवार उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे अनारक्षित सूची में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अध्यधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी."

2. उप नियम-5 (ग) आयु (अ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए,
"उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख के बाद की 1 जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और 30 वर्ष से अधिक न हो, किंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/मूल निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रहेगी."

3. उप नियम 5 (ग) आयु (आ) (पन्द्रह) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए :—
"छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए."

4. उप नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए,
"नियत अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा."

5. उप नियम-17 को विलोपित किया जाए.

6. उक्त नियम के "परिशिष्ट-एक" परीक्षा योजना (2) (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये :—
"परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (2) (ग) "प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार का होगा प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/लगभग सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा."

7. उक्त नियम के "परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (2) (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—
"परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना "(2) (घ) प्रश्नपत्र में 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिये 2 अंक होंगे और जिसकी समय अवधि 2:30 घंटे की होगी."

8. परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (2) (फ) के पश्चात् निम्नलिखित (च) अन्तःप्रतिस्थापित किया जाये :—
"परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (2) (च) प्रारंभिक परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे."

9. परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (4) (क) मुख्य परीक्षा के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये :—
"राज्य सेवा परीक्षा नियम, परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना (4) (क) मुख्य परीक्षा में चार प्रश्न निम्नानुसार होंगे :—

(1) अनिवार्य प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र I :— सामान्य अध्ययन - 2.30 घंटे
प्रश्नों की संख्या 150 अंक 300

प्रश्न पत्र II :— भाषा (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी) - 2.30 घंटे
प्रश्नों की संख्या 150 अंक 300

(2) ऐच्छिक प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र III :— ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र 2.30 घंटे
प्रश्नों की संख्या 150 अंक 300

प्रश्न पत्र IV :— ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न पत्र - 2.30 घंटे
प्रश्नों की संख्या 150 अंक 300 "

10. "परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना, मुख्य परीक्षा (4) (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये :—
"परिशिष्ट-'एक' परीक्षा योजना, "मुख्य परीक्षा (4) (घ) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहु विकल्प प्रश्न) के होंगे. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/लगभग सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 23 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Raipur, the 23rd December 2011

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One.—Combined competitive examination called "State Service Examination Rule 2008" for recruitment of the different services/posts to be held by Chhattisgarh Public Service Commission has been issued on 27th August, 2008. The following amendment shall be made, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For Sub Rule 3 (iii) (b), the following rule shall be substituted :—
"Merit list for each post in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (OBC) will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes (OBC), by virtue of his aggregate of marks, finds place in the unreserved list, he shall be shown in the unreserved list and will not be counted against a reserved vacancy."

2. For Sub Rule 5(c) Age (a), the following rule shall be substituted :—
"A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January of the next year after issuance of the advertisement but in the case of candidates domicile/permanent resident of Chhattisgarh, this maximum age limit extended to 35 years.".

3. For Sub Rule 5 (c) Age (b)(xv), the following rule shall be substituted :—
"In case of the Permanent/Temporary employees of either of Chhattisgarh State Government or any undertaking of Chhattisgarh State Government will be entitled the age relaxation up to 38 years."

4. For Sub Rule 15, the following rule shall be substituted :—
"The online applications received after due date may not be entertained."

5. In Sub Rule 17 shall be eliminated.

6. For Sub Rule Annexure-I (Exam Plan) 2 (c), the following rules shall be substituted :—
"Annexure-I (Exam Plan) 2 (c) "The question paper of Preliminary Exam will be of the objective type (multiple choice question). Each question will have four probable answers grouped under A,B,C and D of which only one will be the correct/nearly correct answer. The candidate is required to record in the answer book, only A, B, C or D as may be adjudged by him to be the correct answer."

7. For Sub Rule, Annexure-I (Exam Plan) 2(d), the following rules shall be substituted :—
"2(d) Paper will carry 150 questions each carrying 2 marks and will be of 2:30 hrs. duration."

8. After Annexure-I (Exam Plan) 2(f), the following clause shall be inserted, namely :—
"Annexure-I (Exam Plan) 2 (g) Candidates are required to obtain at least 33% marks in each paper of the Preliminary Examination. In the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class the qualifying marks would be only 23%."

9. For Rule Annexure-I (Exam Plan) 4(a), Main Examination the following rule shall be substituted :—
"State Services Examination Rules 2008, Annexure-I (Exam Plan) 4(a) Main Examination-will consist of four question papers as given below :—

(1) Compulsory Paper—

Paper - I :— General Studies 2.30 Hrs.
No. of question 150 300 Marks

Paper - II :— Language (Gen. Hindi & Gen. English) 2.30 Hrs.
No. of question 150 300 Marks

(2) Optional Papers—

Paper - III :— Optional Paper-I 2.30 Hrs. each
No. of question 150 300 Marks

Paper - IV :— Optional Paper-II 2.30 Hrs. each
No. of question 150 300 Marks

10. For Annexure-I (Exam Plan) Main Examination 4(d) the following Annexure-I shall be substituted :—
"Annexure-I (Exam Plan) Main Examination 4(d) The question papers for the examination will be of objective type (Multiple Choice Question). Each question will have four probable answers grouped under A, B, C and D of which only one will be the correct/nearly correct answer. The candidate is required to record in the answer book, only A, B, C or D as may be adjudged by him to be the correct/nearly correct answer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.